न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./07/2026

रेवती प्रसाद पुत्र श्री हरकंट निवासी हरनगर हाल निवासी बजरंग विहार, भीमनगर बयाना तह0 बयाना जिला भरतपुर

..........प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत हरनगर पंचायत समिति बयाना जरिये सरपंच नरसी ग्राम पंचायत हरनगर तहसील बयाना जिला भरतपुर

...... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री दीपक मित्तल उपखण्ड अधिकारी बयाना प्रकरण उनवानी ग्राम पंचायत हरनगर बनाम श्रीमान तहसीलदार बयाना वगै0 दावा सं0 10/2022 अनतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:–
1–श्री विजयसिह झारौटिया प्रार्थी0,
2–श्री रूपेन्द्र सिह अभिभाषक अप्रार्थी0

दिनांक 20.05.2026

निर्णय

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में एक दावा उनवानी ग्राम पंचायत हरनगर वनाम तहसीलदार बयाना वगै. प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सरपंच है जो कि राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी से मिला हुआ है हर तारीख पर न्यायालय परिसर में प्रार्थी को धमकी देता है कि पीठासीन अधिकारी से मेरी अच्छी जान पहचान है उक्त प्रकरण का फैसला में अपने पक्ष मे करा लूगा। तथा पीठासीन अधिकारी भी अप्रार्थी के घर व फार्म पर आते जाते है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते देखा है। प्रार्थी को अन्देशा हो गया है कि कि पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थी के पक्ष मे करना चाहते है। इसलिए प्रकरण 10/2022 उनवानी ग्राम पंचायत हरनगर बनाम श्रीमान तहसीलदार बयाना वगै0 को दीगर सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक रूपेन्द्र सिंह उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में एक दावा उनवानी ग्राम पंचायत हरनगर वनाम तहसीलदार बयाना वगै. प्रस्तुत किया हुआ है

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./07/2026
रेवती प्रसाद बनाम ग्राम पंचायत हरनगर प.स. बयाना

जिसमें प्रार्थी सहखातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सरपंच है जो कि राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी से मिला हुआ है हर तारीख पर न्यायालय परिसर में प्रार्थी को धमकी देता है कि पीठासीन अधिकारी से मेरी अच्छी जान पहचान है उक्त प्रकरण का फैसला में अपने पक्ष मे करा लूगा। तथा पीठासीन अधिकारी भी अप्रार्थी के घर व फार्म पर आते जाते है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते देखा है। प्रार्थी को अन्देशा हो गया है कि कि पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थी के पक्ष मे करना चाहते है। इसलिए प्रकरण 10/2022 उनवानी ग्राम पंचायत हरनगर बनाम श्रीमान तहसीलदार बयाना वगै0 को दीगर सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी बयाना से अप्रार्थी0 की कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहाँ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं उसके द्वारा लगाये गये आरोपों की प्रमाणिकता को बल मिल सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर